

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज ओमप्रकाश बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) सू.अ.अपील संख्या 10/2022</p>	<p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>21.02.22</p>	<p>अपीलार्थी ओमप्रकाश दांतीवाड़ा निवासी अखिल भारतीय किसान सभा कार्यालय, गांधी टावर, चौथी मंजिल, गांधी अस्पताल के सामने, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.11.2021 में उसके द्वारा (1) कलक्टर (भू.अ.) जोधपुर के पत्र क्रमांक 6097 दिनांक 21.06.2019, 8386 दिनांक 05.08.2019, 8992 दिनांक 20.08.2019, 10657 दिनांक 25.09.2019, 13505 दिनांक 29.11.2019 पत्रांक राजस्व/1626 दिनांक 19.06.2020 व उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के पत्रांक राजस्व/2020/169 दिनांक 20.07.2020 एवं तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर के पत्रांक 3134 दिनांक 14.07.2020, 3350 दिनांक 22.07.2020, 3686 दिनांक 13.08.2020, 5066 दिनांक 02.11.2020 की पालनार्थ में हलका पटवारी दांतीवाड़ा द्वारा खतौनी बन्दोबस्त खाता संख्या (संवत् 2074-77) 494, 299, 377, 496, 102, 488, 77, 494, 299, 377, 496, 495, 124, 81, 301, 20, 497, 23, 162 इत्यादि का शुद्धि पत्र पर दर्ज किये गये उपतहसीलदार डांगियावास को कुल 06 पृष्ठों के साथ स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये। उक्त शुद्धि पत्रों की दो-दो प्रतियों में प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 10.11.2021 में चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) से संबंधित होने से प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) ने पत्रांक सू.अ.अ./प्रा.स. 419/2021 /1147 दिनांक 10.11.2021 के जरिये लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को प्रेषित किया। उक्त लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	